

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 330 / 2025

अनवान : -

1 सोहनलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त० तहसील जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम


- 1 अमीलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 राजाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 सुरेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 3 डीपीएम के खाता सं० 104/15 में अंकित कुल 0.506 है० में से प्रतिवादी अमीलाल की 1/3 हिस्सा की आराजी तथा चक नं० 11 एम. के. एस के खाता सं० 92 / 86 में प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की .127 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार चकनं० 3 डीपीएम के खाता सं० 104/ 15 मे से प्रतिवादी सं० 1 अमीलाल का नाम कलमजन व चक नं० 11 एम.के.एस के खाता सं० 92/86 मे से हम प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 18/8/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़